

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.
dirminority@gmail.com

क्रमांक: प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2023-24/ 5096


जयपुर, दिनांक: 18/8/2023

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक प.111/नि.अ.मा.वि./अनु.छात्रा/सत्र 2018-19/पार्ट1/6329 दिनांक 20.09.2021 द्वारा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं में प्रवेश देने हेतु गठित की गई कमेटी के अतिक्रमण में जिला जयपुर में संचालित अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार प्रवेश कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संयोजक)।
2. सहायक निदेशक, प्रभारी अधिकारी छात्रावास, प्रतिनिधि, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग (सदस्य)।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी (सदस्य)।
4. जिला कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार (सदस्य)।

उक्त कमेटी में से किसी का पद रिक्त होने पर जिला कार्यालय में कार्यरत अन्य वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी को कमेटी में सम्मिलित किया जाये।


(जमील अहमद कुरैशी)


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.141/नि.अ.मा.वि./रा. छात्रा. संचा./2023-24/ 5097-5102

जयपुर, दिनांक: 18/8/23

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(शरफुद्दीन बेग)

सहायक निदेशक (प्रथम)